

**लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़****पीठासीन अधिकारी - आलोक रंजन (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 022/2026(सू.अ.) (GCMS 2026/42)	दायर दिनांक 05-02-2026	निर्णय दिनांक 24-02-2026
--	---------------------------	-----------------------------

**उनवान**

शांतिलाल छीपा पिता जगन्नाथ छीपा निवासी हिन्दू छीपा मौहल्ला, लौहारों की मस्जिद के पास, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

**अपीलार्थी****बनाम**

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

**प्रत्यर्थी**

**प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**-:: निर्णय ::-**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 04.12.2025 को लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां प्रस्तुत किया, प्रस्तुत आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में भी लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक/सरिश्ता/प्र.सं. /022/2026(सू.अ.)(24.02)/96 दिनांक 09.02.2026 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये, प्रकरण में



आगामी नियत दिनांक 24.02.2026 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 24.02.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक 24.02.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2026/20 दिनांक 24.02.2026 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैं:-

1. यह सही है कि प्रार्थी श्री शांतिलाल छीपा निवासी हिन्दू छीपा मौहल्ला, लौहारों की मस्जिद के पास, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 04.12.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को स्पष्ट विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु लिखा जाकर इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/310 दिनांक 15.12.2025 से प्रार्थी को अवगत करवा दिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र से वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दिये जाने से वर्तमान में इस प्रकरण पर इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है, जिससे प्रकरण पर अपील निस्तारण योग्य है।
4. यह कि प्रार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवा दी गई है, अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/310 दिनांक 15.12.2025 से उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया, किन्तु अपीलार्थी द्वारा



लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण यथा आवेदन में वर्णित प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.2025 एवं 10.07.2025 की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है तथा ना ही आज नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित हुआ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत कोई भी सूचना चाहने हेतु आवेदक को वांछित सूचना का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण यथा आवेदन में वर्णित प्रार्थना पत्रों की छायाप्रतियां आदि उपलब्ध नहीं कराई है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण यथा आवेदन में वर्णित प्रार्थना पत्रों की छायाप्रतियां उपलब्ध कराने तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने के पश्चात् नियमानुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ तथा अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क प्रेषित की जावे।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’



(आलोक रंजन)(I.A.S.)  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,  
(राजस्व) (जिला कलक्टर),  
चित्तौड़गढ़ (राज.)